



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941

No. 661]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 840(अ).—केन्द्रीय सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11 क और धारा 12 कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 में, उप-नियम (18) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(19) जहां उप नियम (4) के खंड (क) के अधीन किसी कक्षीकार ने पहचान के लिए अपनी आधार संख्या प्रस्तुत की है और केन्द्रीय पहचान डाटा संग्रह में उपलब्ध पहचान सूचना के अनुसार दिए गए पते से भिन्न वर्तमान पता, प्रस्तुत करना चाहता है, उसे रिपोर्टिंग इकाई को इस उद्देश्य के लिए एक स्वघोषणा पत्र देना होगा।”

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ईएस सैल-डीओआर]

अरविंद सरन, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 444 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित हुए थे और इसे अंतिम बार तारीख 18 सितंबर, 2019 को संख्यांक सा.का.नि. 669(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2019

G.S.R. 840(E).—In exercise of the powers conferred by section 73, read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Fifth Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 9, after sub-rule (18), following sub-rule shall be inserted namely:--

“(19) Where a client has provided his Aadhaar number for identification under clause (a) of sub-rule (4) and wants to provide a current address, different from the address as per the identity information available in the Central Identities Data Repository, he may give a self-declaration to that effect to the reporting entity.”.

[F. No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

ARVIND SARAN, Director (Headquarter)

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 18th September, 2019.